



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2000/आषाढ़ 9, 1922

No. 358]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2000/ASADHA 9, 1922

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 जून, 2000

सा. का. नि. 576(अ).— बिलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 की बाबत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश सं. पी-11013/4/98-वि. तारीख 5 जून, 2000 में जो भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उद्योग विभाग में सा. का. नि. 519(अ), द्वारा प्रकाशित किया गया था :

(i) खंड 2 के उपखंड (ब) में "मोटर स्पॉरिट और/या उच्च गति डीजल" शब्दों के स्थान पर "मोटर स्पॉरिट और उच्च गति डीजल" शब्द न हों;

(ii) खंड 3 में उपखंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (5) पढ़ें :—

"(5) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, आवेदन करने के लिए अपेक्षित प्रारूप और उस आदेश को, जिसमें उपखंड (1) के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी, अधिसूचित कर सकेगी और ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकेगी, जो आदेश के इस उपबंध की प्रभावों कम करने के लिए आवश्यक हों"।

[फाइल सं. पी. 11013/4/98-वि.]

शिखराज सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th June, 2000

G. S. R. 576 (E).—In the English version of the Order No. P-11013/4/98-Dist. dated, the 5th June, 2000 of the Ministry of Petroleum and Natural Gas published through G. S. R. 519(E), in Part II, Section 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, of the same date regarding the Solvent, Raffinate and Slop

(Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order,  
2000:

- (i) line 9, for "use" read "Use" ;
- (ii) line 30, for "and or" read "or" ;
- (iii) line 31, for "and, or" read "and" ;
- (iv) in clause 3, after sub-clause (4), read  
"(5) The Central Government may, by order, notify the form required for making application and the format in which licence shall be issued under sub-clause (1), and issue guidelines as may be necessary for giving effect to the provisions of this Order." ;
- (v) in clause 6, for "of a State" read "or a State".

[File No. P-11013/4/98-Dist.]

SHIVRAJ SINGH, Jr. Secy.

रुद्रिपत्र

नई दिल्ली, 30 जून, 2000

सा. का. नि. 577(अ) — नाफ्था (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 की बाबत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश सं. पी-11013/1/2000-वि. तारीख 5 जून, 2000 के हिन्दी घाट में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड उपखंड (i) में उसी तारीख में सा. का. नि. 518(अ), द्वारा प्रकाशित किया गया था :

(i) खंड 3 के उपखंड (v) के अन्तर्गत निम्नलिखित खंड पढ़ें :

"(vi) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा, आवेदन करने के लिए अपेक्षित प्ररूप और उस फारमेट को, जिसमें उपखंड (i) के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जाती है, अधिसूचित कर सकेगी और ऐसे पाण्डरों निम्नान्त जारी कर सकेगी, जो आदेश के इस उपबंध को प्रभावित बनाने के लिए आवश्यक हों"।

(ii) खंड 4 के उपखंड (2) में "खंड 1 (घ) के अधीन" शब्दों, अंक, अक्षर और कोष्ठक के स्थान पर "खंड 1 के उपखंड (घ) के अधीन" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक पढ़ें।

[फाइल सं. पी. 11013/1/2000-वि.]

शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th June, 2000

G.S.R. 577 (E).—In the English version of the Order No. P-11013/1/2000-Dist. dated, the 5th June, 2000 of the Ministry of Petroleum and Natural Gas published through G.S.R. 518(E) in Part II, Section 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, of the same date regarding the Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobile) Order, 2000 :

- (i) line 7, for "called The" read "called the" ;
- (ii) line 8, for "use" read "Use" ;
- (iii) line 9, for "Automobile", read "Automobiles";
- (iv) in clause 3, after sub-clause (v), read  
 "(vi) The Central Government may, by order, notify the form required for making application and the format in which licence shall be issued under sub-clause (i); and issue guidelines as may be necessary for giving effect to this provisions of the Order." ;
- (v) in clause 4, in sub-clause (2), for "clause 1(d)", read "sub-clause (d) of clause (1)." ;
- (vi) in clause 7, for "order may be" read "order made by".

[File No. P-11013/1/2000-Dist.]

SHIVRAJ SINGH Jt. Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 2000

सा. का. नि. 578(अ).—केन्द्रीय सरकार बिलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खंड 3 के उपखंड (1) और उपखंड (5) के अनुसरण में, वह प्ररूप जिसमें उक्त आदेश के अधीन बिलायक, रेफिनेट और स्लॉप अनुज्ञापित जारी करने के लिए आवेदन किया जाएगा और यह फारमेट जिसमें राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञापित जारी की जाएगी, अर्थात् :-

## आवेदन प्ररूप

(बिलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खंड 3 के उपखंड (1), के अधीन बिलायक, रेफिनेट और स्लॉप को अनुज्ञापित जारी करने के लिए)

सेवा में,

राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

1. आवेदक का नाम-----

2. फर्म का प्रकार (जो लागू न हो उसे काट दें)

2क. पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/भागीदारी फर्म/स्वत्वधारी फर्म/अन्य

2ख. व्यापार प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता/उपभोक्ता/अन्य

3. पता

3क. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .....

3ख. भंडारण स्थल .....

4. निदेशकों ( भागोदारों ) स्वत्वधारियों का नाम, पता, टेलीफोन नं.

क्रम संख्या	नाम	कार्यालय		निवास	
		पता	टेलीफोन	पता	टेलीफोन

5. उद्योग रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति का व्यौरा

रजिस्ट्रीकरण/ अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

6. विक्रय-कर रजिस्ट्रीकरण का व्यौरा

6क. राज्य विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण/ अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

6ख. केन्द्रीय विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण/ संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

7. बिस्फोटकों की अनुज्ञप्ति का व्यौरा

अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	अनुज्ञापन भंडारण क्षमता ( किलोलीटर में )

8. भंडारण का व्यौरा

अवस्थान	विलायक, रेफिनेट और स्लाप	टैंक संख्या	क्षमता ( किलोलीटर में )

9. उस विलायक ( रेफिनेट ) स्लाप का, जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, उपयोग

1. ....
2. ....
3. ....
- ...
- ...

10क. ऐसे विलायक (रेफिनेट) स्टांप की मात्रा जिसके लिए निम्नलिखित हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है

विलायक	रेफिनेट	स्टांप	किलोलीटर में परिमाण

10ख. वह अधिशेष सामग्री, जिसके लिए विलायक (रेफिनेट स्टांप अपेक्षित है) हैं

1. प्रसंस्करण ..... (ब्यौरा दें)
2. खप गई विलायक (रेफिनेट) स्टांप की प्रत्येक यूनिट की अधिशेष सामग्री (प्रत्येक को पुथक् रूप से दिया जाना है)

अंतिम उत्पाद	उत्पादन
उत्पाद क	प्रतिशत
उत्पाद ख	प्रतिशत
—	प्रतिशत
—	प्रतिशत
छाँजन	प्रतिशत
योग	100 प्रतिशत

#### घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इस आवेदन के साथ संलग्न उपाबंध के रूप में जानकारी तथा विवरण ठीक, पूरा और सत्य है और यदि इसमें दिया गया कोई विवरण गलत पाया जाता है तो मैं विधि के उपबंधों के अधीन कार्रवाई के लिए दायी हूंगा।

तारीख

हस्ताक्षर :

स्थान

नाम :

वह फारमेट जिसमें राज्य सरकारों/जिला मजिस्ट्रेटों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/भारत सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी

[ खंड 3(1) देखिए ]

1. अन्वय प्रसंस्करणकर्ता/निर्माता/उपभोक्ता/अन्य का नाम (जो लागू न हो उसे काट दें)

.....

2. फर्म का प्रकार (जो लागू न हो उसे काट दें)

पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/भागीदारी फर्म/स्वात्वधारी फर्म

3. पता

3क. राजपत्र कृत कार्यालय .....

.....

3ख. भंडाल स्थल .....

.....

## 4. निदेशकों/भागोदारों/स्वत्वधारियों के नाम, पते और टेलीफोन नम्बर

क्रम सं.	नाम	कार्यालय		निवास	
		पता	टेलीफोन	पता	टेलीफोन

## 5. उद्योग रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति के ब्यौरे

रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी
--------------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

## 6. विक्रय-कर रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे

## 6क. राज्य विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी
---------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

## 6ख. केन्द्रीय विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी
---------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

## 7. विस्फोटकों की अनुज्ञप्ति के ब्यौरे

अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	अनुज्ञप्त भंडारण क्षमता (किलोलीटर में)
-------------------	--------------------	-------------------------	--

## 8. भंडारण के ब्यौरे

अवस्थान	विलायक/रेफिनेट/स्लॉप	टैंक संख्या	क्षमता (किलोलीटर में)
---------	----------------------	-------------	-----------------------

## 9. ऐसे विलायक/रेफिनेट/स्लॉप का, जिसके लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है, प्रयोग करके अन्त करना।

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

## 10. अनुज्ञप्ति को अन्य तर्कों

- .....
- .....

## 11. विलायक/रेफिनेट/स्लॉप को अनुज्ञप्ति के ब्यौरे

अनुज्ञप्ति संख्यांक	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य ( * )	विलायक/ रेफिनेट/स्लॉप	प्रति वर्ष अनुज्ञप्ति परिमाण
---------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------------

( \* ) अनुज्ञप्ति एक वर्ष की अवधि के लिए जारी की जाएगी और तत्पश्चात् इसे प्रत्येक अवसर पर दो वर्ष के लिए नवीकृत किया जाएगा।

तारीख .....

हस्ताक्षर : .....

स्थान .....

नाम : .....

पदनाम : .....

मुद्रा : .....

[ फ्र.सं. सं. 11013/4/98-वि. ]

शिव सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 519(अ), तारीख 5 जून, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

## ORDER

New Delhi, the 30th June, 2000

G.S.R. 578(E).—In pursuance of sub-clauses (1) and (5) of clause 3 of the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000, the Central Government hereby notifies the Form in which application for issue of Solvent, Raffinate and Slop licence shall be made under the said Order, and the Format in which the licence shall be issued by the State Government or the District Magistrate or the officer authorised by the Central or the State Government, namely :-

## APPLICATION FORM

(For issue of licence for Solvent, Raffinate and Slop under sub-clause (1) of clause 3 of the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000)

To,

The State Government or the District Magistrate or the officer authorised by the Central or the State Government,

1. Name of the applicant

2. Type of firm (strike out whichever is not applicable)

2a. Public Limited Company/Private Limited Company/Partnership firm/Proprietorship firm/Others

2b. Trader / Processor / Manufacturer / Consumer / Others

3. Addresses

3.a Registered office

3.b Storage point (s)

## 4. Names, addresses, telephone numbers of Directors / Partners / Proprietor(s)

Serial Number	Name	Office		Residence	
		Address	Telephone	Address	Telephone

## 5. Industry Registration/Licence Details

Registration / Licence Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

## 6. Sales Tax Registration Details

## 6a. State Sales Tax

Registration Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

## 6b. Central Sales Tax

Registration Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

## 7. Explosives Licence Details

Licence Number	Date of Issue	Valid up to*	Storage capacity Licenced (in kilolitres) —

## 8. Details of Storage

Location	Solvent / Raffinate / Slop	Tank Number	Capacity (in kilolitres)

## 9. Use of Solvent / Raffinate / Slop for which the licence is required

1	_____
2	_____
3	_____
....	_____
....	_____

## 10a. Quantities of Solent / Raffinate / Slop for which Licence is applied for

Solvent / Raffinate / Slop	Quantity in kilolitres

## 10b. Material balance for which Solvent / Raffinate / Slop is / are required

i. Process

(attach details)

\_\_\_\_\_



**II. Material balance of each unit of Solvent / Raffinate / Slop consumed**  
(to be given for each separately)

End Products	Production
Product A	.....%
Product B	.....%
.....	.....%
.....	.....%
Wastage	.....%
Total	100%

**DECLARATION**

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief and the information as annexures and statements accompanying this application are correct, complete and true, and if any statement made herein is found to be incorrect, I shall be liable for action under the provisions of law.

Date \_\_\_\_\_  
Place \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_  
Name : \_\_\_\_\_

**FORMAT IN WHICH THE LICENCE SHALL BE ISSUED BY THE STATE GOVERNMENTS / THE DISTRICT MAGISTRATES / UNION TERRITORY ADMINISTRATIONS / GOVERNMENT OF INDIA**

(see clause 3(1))

1. Name of Trader / Processor / Manufacturer / Consumer / Others  
(strike out whichever is not applicable)

--

2. Type of firm, (strike out whichever is not applicable)

Public Limited Company / Private Limited Company / Partnership firm / Proprietorship firm

3. Addresses

- 3.a Registered office

--

- 3.b Storage point(s)

--

--

4. Names, addresses, telephone numbers of Directors / Partners / Proprietor (s)

S.No.	Name	Office		Residence	
		Address	Telephone	Address	Telephone

5. Industry Registration/Licence Details

Registration / Licence Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

## 6. Sales Tax Registration Details

## 6a. State Sales Tax

Registration Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

## 6b. Central Sales Tax

Registration Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

## 7. Explosives Licence Details

Licence Number	Date of Issue	Valid up to	Storage capacity Licenced (in kilolitres)

## 8. Details of Storage

Location	Solvent / Raffinate / Slop	Tank Number	Capacity (in kilolitres)

## 9. End use of Solvent / Reffinates / Slop for which the licence is granted

1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_  
 ....  
 ....  
 ....

## 10. Other conditions of the Licence

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## 11. Details of Solvent / Raffinate / Slop Licence

Licence Number	Date of issue	Valid up to (*)	Solvent / Raffinate / Slop	Licenced Quantity per year (in kilolitres)

(\*) Licence shall be issued for a period of one year and thereafter shall be renewed for two years on each occasion

Date \_\_\_\_\_  
 Place \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_  
 Name : \_\_\_\_\_  
 Designation : \_\_\_\_\_  
 Seal : \_\_\_\_\_

[F. No. P-11(013/4/98-Dist.)

SHIV RAJ SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 519(E), dated, the 5th June, 2000.

## आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 2000

सा. का. नि. 579(अ).—केन्द्रीय सरकार, नाप्य (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खंड 3 के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अनुसरण में, यह प्रारूप जिसमें उक्त आदेश के अधीन नाप्या अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए आवेदन किया जाएगा और वह फारमेट जिसमें राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी, अधिस्तुतित करता है। आदेश :—

## आवेदन प्रारूप

नाप्या, (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खंड 3 के उपखंड (i) के अधीन नाप्या की अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए

सेवा में,

राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या केन्द्रीय राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

1. आवेदक का नाम .....
2. फर्म का प्रकार (जो लागू न हो उसे काट दें)
- 2क. पब्लिक लिमिटेड कंपनी/गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी/भागोदारी फर्म/स्वतन्त्र फर्म/अन्य
- 2ख. व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता/उपभोक्ता/अन्य
3. पता
- 3क. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय-----
- 3ख. भंडारण स्थल-----
4. निदेशकों/भागोदारी/स्वतन्त्रधारियों का नाम, पता, टेलीफोन नं.

क्रम संख्या	नाम	कार्यालय		स्थान	
		पता	टेलीफोन	पता	टेलीफोन
1.					
2.					
3.					

## 5. उद्योग रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति का व्यौरा

रजिस्ट्रीकरण संख्या	जारी करने की तिथि	निम्नलिखित तक विधिवान्त	जारी करने वाला प्राधिकारी

## 6. विक्रय-कर रजिस्ट्रीकरण का व्यौरा

## 6क. राज्य विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण संख्या	जारी करने की तिथि	निम्नलिखित तक विधिवान्त	जारी करने वाला प्राधिकारी

## 6ख. केन्द्रीय विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण संख्या	जारी करने की तिथि	निम्नलिखित तक विधिवान्त	जारी करने वाला प्राधिकारी

## 7. विस्फोटकों की अनुज्ञप्ति के ब्यौरे

अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमानी	अनुज्ञप्त भंडारण क्षमता (किलोलीटर में)
-------------------	--------------------	------------------------	--

## 8. भंडारण का ब्यौरा

अवस्थान	बैक संख्यांक	क्षमता (किलोलीटर में)
---------	--------------	-----------------------

## 9. ऐसे नाप्या का, जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, उपयोग

1. ....

2. ....

3. ....

.....

.....

10क. नाप्या की मात्रा जिसके लिए ----- किलोलीटर में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है।

10ख. वह अधिशेष सामग्री, जिसके लिए नाप्या अपेक्षित है।

(i) प्रसंस्करण ..... (ब्यौरा दें)

(ii) खप गई नाप्या प्रत्येक यूनिट की अधिशेष सामग्री :

अंतिम उत्पाद	उत्पादन
उत्पाद क	प्रतिशत
उत्पाद ख	प्रतिशत
.....	प्रतिशत
.....	प्रतिशत
छांजन	प्रतिशत
योग	100 प्रतिशत

## घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इस आवेदन के साथ संलग्न उपबंध के रूप में जानकारी तथा विवरण ठीक, नूर्ण और सत्य है और यदि इसमें दिया गया कोई विवरण गलत पाया जाता है तो मैं विधि के उपबंधों के अधीन कार्रवाई के लिए दायी हूंगा।

तारीख

हस्ताक्षर :

स्थान

नाम :

यह फॉरमेट जिसमें राज्य सरकारों/जिला मजिस्ट्रेटों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/भारत सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी

[खंड 3 (i) देखिए]

1. ध्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता/उपभोक्ता/अन्य का नाम (जो लागू न हो उसे काट दें)

-----

2. फर्म का प्रकार ( जो लागू न हो उसे काट दें )

पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्रिवेट लिमिटेड कंपनी/भागीदारी फर्म/स्वत्वधारी फर्म/अन्य

3. पता

3क. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. ख भंडारण स्थल \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. निदेशकों/भागीदारों/स्वत्वधारियों के नाम, पते और टेलीफोन नम्बर

क्रम. सं.	नाम	कार्यालय		निवास	
		पता	टेलीफोन	पता	टेलीफोन

5. उद्योग रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति के ब्यौरे

रजिस्ट्रीकरण/ अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी
------------------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------

6. विक्रय-कर रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे

6क. राश्या विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी
------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------

6ख. केन्द्रीय विक्रय-कर

रजिस्ट्रीकरण संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी
------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------

7. विस्फोटकों की अनुज्ञप्ति के ब्यौरे

अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख	निम्नलिखित तक विधिमान्य	अनुज्ञप्ति भंडारण क्षमता (किलोलीटर में)
----------------------	-----------------------	----------------------------	--

## 8. भंडारण के ब्यौरे

अवस्थान	विलासक/रिफ्लेक्ट/स्लॉप	टैंक संख्या	क्षमता (किलोलीटर में)

## 9. ऐसे नाथ्या का जिसके लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है, प्रयोग करके अन्त करना।

- 
- 
- 

## 10. अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तें

- 
- 
- 

## 11. नाथ्या अनुज्ञप्ति के ब्यौरे

अनुज्ञप्ति संख्याक	जल करने का तारीख	निम्नलिखित तक तिथि	प्रति वर्ष अनुज्ञप्त परिमाण

(\* ) अनुज्ञप्ति एक वर्ष की अवधि के लिए जारी की जाती है और तदनुसार इसे प्रत्येक अवधि के दो वर्ष के लिए नवीकृत किया जाएगा।

तारीख -----

हस्ताक्षर : -----

स्थान -----

नाम : -----

पदनाम : -----

मुद्रा : -----

[ फा.सं. पी-7/013/1/2000-वि. ]

शिवराम सिंह, संयुक्त सचिव

## ORDER

New Delhi, the 30th June, 2000

G. S. R. 579(E).—In pursuance of sub-clauses (j) and (vi) of clause 3 of the Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000, the Central Government hereby notifies the Form in which application for issue of Naphtha licence shall be made under the said Order, and the Format in which the licence shall be issued by the State Government or the District Magistrate or the officer authorised by the Central or the State Government, namely:—

## APPLICATION FORM

( For issue of Licence for Naphtha under sub- clause (l) of clause 3 of the Naphtha (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000 )

To,  
The State Government or the District Magistrate or the officer authorised by the Central or the State Government.

1. Name of the applicant

2. Type of firm (strike out whichever is not applicable)

2a. Public Limited Company/Private Limited Company/Partnership firm/Proprietorship firm/Others  
2b. Trader / Processor / Manufacturer / Consumer / Others

3. Addresses

3.a Registered office

3.b Storage point (s)



4. Names, addresses, telephone numbers of Directors / Partners / Proprietor(s)

Serial Number	Name	Office		Residence	
		Address	Telephone	Address	Telephone

5. Industry Registration/Licence Details

Registration / Licence Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

6. Sales Tax Registration Details

6a. State Sales Tax

Registration Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

6b. Central Sales Tax

Registration Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

## 7. Explosives Licence Details

Licence Number	Date of Issue	Valid up to	Storage capacity Licenced (in kilolitres)

## 8. Details of Storage

Location	Tank Number	Capacity (in kilolitres)

## 9. Use of Naphtha for which the licence is required

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

...

....

## 10a. Quantity of Naphtha for which Licence is applied for \_\_\_\_\_ (In Kilolitres)

## 10b. Material balance for which Naphtha is required

## I. Process \_\_\_\_\_ (attach details)

## II. Material Balance of each unit of Naphtha consumed

End Products	Production
Product A	.....%
Product B	.....%
.....	.....%
.....	.....%
Wastage	.....%
Total	100%

DECLARATION

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief and the information as annexures and statements accompanying this application are correct, complete and truly stated and if any statement made herein is found to be incorrect, I shall be liable for action under the provisions of law.

Date \_\_\_\_\_  
Place \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_  
Name : \_\_\_\_\_



**FORMAT IN WHICH THE LICENCE SHALL BE ISSUED BY THE STATE GOVERNMENT / DISTRICT MAGISTRATE / UNION TERRITORY ADMINISTRATIONS / GOVERNMENT OF**  
(see clause 3(i))

1. Name of Trader / Processor / Manufacturer / Consumer / Others  
(strike out whichever is not applicable)

2. Type of firm (strike out whichever is not applicable)  
Public Limited Company/Private Limited Company/Partnership firm/Proprietorship

3. Addresses

3.a Registered office

3.b Storage point (s)

4. Names, addresses, telephone numbers of Directors / Partners / Proprietor (s)

Serial Number	Name	Office		Residence	
		Address	Telephone	Address	Telephone

5. Industry Registration/Licence Details

Registration / Licence Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

6. Sales Tax Registration Details

6a. State Sales Tax

Registration Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

6b. Central Sales Tax

Registration Number	Date of Issue	Valid up to	Issuing Authority

## 7. Explosives Licence Details

Licence Number	Date of Issue	Valid up to	Storage capacity Licenced (in kilolitres)

## 8. Details of Storage

Location	Tank Number	Capacity (in kilolitres)

## 9. End use of Naphtha for which the licence is granted

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

... \_\_\_\_\_

... \_\_\_\_\_

... \_\_\_\_\_

## 10. Other conditions of the Licence

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 11. Details of Naphtha Licence

Licence Number	Date of Issue	Valid up to*	Licensed Quantity per year (in kilolitres)

(\* ) Licence shall be issued for a period of one year and thereafter shall be renewed for two years on each occasion

Date \_\_\_\_\_  
Place \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_  
Name : \_\_\_\_\_  
Designation : \_\_\_\_\_  
Seal : \_\_\_\_\_

[F.No. P. 11013/1/2000-Dist.]

SHIV RAJ SINGH, Joint Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 518(E), dated, the 5th June, 2000.